



Neutral Citation No - 2026:AHC:28971

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या - 2026 की 1290

मुख्य आरक्षी छोटे सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : मोहम्मद उमर खान

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद उमर खान तथा राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमाव को सुना गया।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमाव ने पीठ के समक्ष यह कथन किया है कि वे अनुदेशों से पूर्णतः सुसज्जित हैं और प्रकरण में बहस करने की स्थिति में हैं। वे कोई प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं करते तथा यह कि रिट याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए।
3. पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका प्रारंभिक चरण पर ही निर्णीत की जा रही है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. रिट याचिकाकर्ता का पक्ष यह है कि उसे आरक्षी के पद पर नियुक्त किया गया था और तत्पश्चात् उसे मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नत किया गया तथा 31.12.2025 को उसे अधिवर्षिता प्राप्त हुई। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, आदेश दिनांकित 01.07.2025 के माध्यम से रिट याचिकाकर्ता का वेतन रुपये 66,000/- से घटाकर रुपये 60,200/- कर पुनर्नियत किया गया है और वेतन के परिणामी अहितकर पुनरीक्षण के कारण अब उसे न्यून पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

5. उक्त आदेश दिनांकित 01.07.2025 को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

6. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आक्षेपित आदेश इस सरल कारण से अपोषणीय है कि वह रिट याचिकाकर्ता को सूचना दिए बगैर परोक्षतः एवं एकपक्षतः पारित किया गया है। आगे निवेदन है कि यह कपट, छिपाव अथवा दुर्व्यपदेशन का प्रकरण नहीं है।

7. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का यह कथन है कि आक्षेपित आदेश में यद्यपि यह वर्णित नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता को सूचना दी गई थी, किन्तु उनके अनुसार नियोक्ता को सदैव यह अधिकार है कि वह की गई त्रुटि को सुधार सके।

8. न्यायालय के समक्ष किए गए उक्त निवेदनों को सुना गया है और अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया गया है।

9. प्रत्यक्षतः प्रतिवादी संख्या 2, 3 द्वारा पारित आदेश दिनांकित 01.07.2025 से यह दर्शित नहीं होता कि रिट याचिकाकर्ता को सूचना दी गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **भगवान शुक्ला बनाम भारत संघ एवं अन्य; (1994) 6 SCC 154** में निम्नानुसार मत व्यक्त किया था:

"3. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है। यह तथ्य निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता का मूल वेतन 1970 से रुपये 190 प्रतिमाह नियत था। यह भी निर्विवाद है कि अपीलार्थी का मूल वेतन 1991 में 18.12.1970 से भूतलक्षी प्रभाव से रुपये 190 प्रतिमाह से घटाकर रुपये 181 प्रतिमाह

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कर दिया गया। अपीलार्थी पर स्पष्टतः दीवानी परिणाम अधिरोपित हुए हैं किन्तु उसे अपने मूल वेतन में कटौती के विरुद्ध कारण बताने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। विभाग द्वारा उसका वेतन घटाए जाने से पूर्व उसे सूचना तक नहीं दी गई और आदेश विधि द्वारा ज्ञात किसी भी प्रक्रिया का अनुसरण किए बगैर उसकी अनुपस्थिति में पारित किया गया। इस प्रकार नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है और अपीलार्थी को सुने बगैर भारी आर्थिक हानि कारित हुई है। कार्यवाही में निष्पक्षता की अपेक्षा है कि ऐसा कोई आदेश, जिसका प्रभाव किसी कर्मचारी पर दीवानी परिणाम अधिरोपित करना हो, संबंधित को सूचना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किए बगैर पारित नहीं किया जाना चाहिए। चूँकि ऐसा नहीं किया गया, अतः आदेश (ज्ञापन) दिनांकित 25.07.1991, जो अधिकरण के समक्ष आक्षेपित था, निश्चित रूप से अपोषणीय था और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने अपीलार्थी की याचिका खारिज करने में त्रुटि की। अधिकरण का आदेश अपास्त किए जाने योग्य है। तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेश दिनांकित 17.09.1993 तथा अधिकरण के समक्ष आक्षेपित आदेश (ज्ञापन) दिनांकित 25.07.1991, जिसके द्वारा अपीलकर्ता का मूल वेतन 18.12.1970 से रुपये 190 से घटाकर रुपये 181 किया गया था, दोनों को अपास्त करते हैं।"

10. चूँकि आक्षेपित आदेश से यह प्रकट नहीं होता कि रिट याचिकाकर्ता को सूचना दी गई थी, अतः इस न्यायालय के पास आदेश का अपास्त करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।

11. तदनुसार, रिट याचिका निम्नलिखित रीति से निर्णीत की जाती है:

(a) प्रतिवादी संख्या 2, 3 द्वारा पारित आदेश दिनांकित 01.07.2025 अपास्त किया जाता है।

(b) विधि के अनुसार नूतन आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

12. शीघ्र निस्तारण को सुकर बनाने के उद्देश्य से, पक्षकार संबंधित प्राधिकारी के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति सहित एक समग्र अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा, जो उक्त कार्यवाही का

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



शीघ्रातिशीघ्र निर्णय करने हेतु अग्रसर होगा। तत्पश्चात् वह सुनवाई की तारीख नियत करते हुए रिट याचिकाकर्ता को सूचना देगा और यदि कोई सामग्री अपेक्षित हो तो उसे रिट याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा तथा आदेश की प्रमाणित प्रति के प्रस्तुतीकरण की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर नया आदेश पारित किया जाएगा।

13. उपर्युक्त प्रेक्षणों के साथ रिट याचिका निस्तारित की जाती है।"

10 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(विकल्प बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"